

भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-1 खंड-1 में प्रकाशनार्थ

फा. सं. 6/53/2026-DGTR

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

दिनांक: 29.09.2026

जांच शुरुआत अधिसूचना

सेतु मामला आईडी - AD/OI/055/2026

विषय: चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम से आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबों और पाइपों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

1. फा. सं. 6/53/2026-DGTR: समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके बाद "अधिनियम" कहा गया है) तथा समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद "नियमावली" कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद "प्राधिकारी" कहा गया है) के समक्ष चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम (जिन्हें इसके बाद "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबों और पाइपों (जिन्हें इसके बाद "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "संबद्ध वस्तु" अथवा "IGT" कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए आवेदन दायर किया है।
2. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और उसने संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है।

3. आवेदक ने कहा है कि विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कोई निष्कर्षित अथवा जारी व्यापार उपचार जांच नहीं है और तांबे की पाइपों और ट्यूबों के आयातों से संबंधित प्रतिकारी शुल्क जांच, जो दिनांक 31 जनवरी 2022 के अंतिम जांच परिणाम सं. 04/10/2020-DGTR द्वारा समाप्त की गई थी, में उस समय ऐसी वस्तुओं का घरेलू उत्पादन न होने के कारण संबद्ध वस्तु को विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर रखा गया था। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु पर कोई पाटनरोधी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क लागू नहीं है और तदनुसार वर्तमान आवेदन नियमावली के नियम 5 के अनुसार मूल जांच की शुरुआत के लिए आवेदन है।

क. विचाराधीन उत्पाद

4. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद "आंतरिक खांचेदार तांबे की ट्यूबें और पाइप" है, जिसे आंतरिक खांचेदार ट्यूब अथवा IGT भी कहा जाता है और बाजार में माइक्रोफिन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। संबद्ध वस्तु तांबे की ऐसी ट्यूबें और पाइप हैं जिनकी भीतरी सतह पर खांचों अथवा उभारों की श्रृंखला होती है, जो ट्यूब के आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल को बढ़ाकर तथा उसमें प्रवाहित होने वाले रेफ्रिजरेट की अशांति को बढ़ाकर उस प्रणाली की ऊष्मा अंतरण दक्षता बढ़ाती है जिसमें उनका उपयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु परिष्कृत तांबे अथवा तांबे की मिश्रधातुओं की हो सकती है; ये खोखले उत्पाद हैं, कॉइल रूप में अथवा बिना कॉइल के, जिनका संपूर्ण लंबाई में केवल एक बंद रिक्त स्थान वाला समान अनुप्रस्थ काट तथा समान दीवार मोटाई होती है; और इनकी आपूर्ति किसी भी कॉइल रूप में की जा सकती है, जिसमें लेवल वाउंड कॉइल, चाहे ETS अथवा ETW पैकेजिंग में हो, तथा जम्बो कॉइल शामिल हैं।
5. संबद्ध वस्तु का उत्पादन साधारण अथवा चिकनी तांबे की ट्यूबों और पाइपों पर अतिरिक्त खांचा बनाने की प्रक्रिया करके किया जाता है। आवेदक ने कहा है कि संबद्ध वस्तु के लिए विशेष मशीनरी, प्रौद्योगिकी और ग्राहक पात्रता आवश्यक होती है; इसकी आपूर्ति मुख्यतः एयर-कंडीशनर और हीट एक्सचेंजर के विनिर्माताओं को की जाती है; और यह साधारण तांबे की ट्यूबों और पाइपों से प्रतिस्थापनीय नहीं है, जिनका उपयोग प्लंबिंग, रेफ्रिजरेशन तथा सामान्य इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों में किया जाता है। जांच की

शुरुआत के प्रयोजनार्थ, साधारण अथवा चिकनी तांबे की ट्यूबें और पाइप विचाराधीन उत्पाद का हिस्सा नहीं हैं। हितबद्ध पक्षकार विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. संबद्ध वस्तु का उपयोग उसके ऊष्मा अंतरण गुणों के कारण मुख्यतः एयर-कंडीशनर के कंडेन्सर में किया जाता है और इसका उपयोग एयर-कंडीशनर इवैपोरेटर, वॉटर हीटर, ऑटोमोटिव एयर-कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के हीट-पाइप रेडिएटर, सौर उपकरण तथा वाटर-कूल्ड स्कू चिल्ड वाटर यूनिट में भी किया जाता है।
7. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के लिए मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) है।
8. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों 7411 10 00, 7411 21 00, 7411 22 00 और 7411 29 00 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
9. आवेदक ने उत्पाद नियंत्रण संख्या ("PCN") पद्धति प्रस्तावित नहीं की है। सभी हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी जाती है कि वे पीयूसी के दायरे और, यदि आवश्यक है, पीसीएन पद्धति पर अपनी टिप्पणियां उन सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन का अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित की गई हों।

ख. समान वस्तु

10. आवेदक ने कहा है कि उसके द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उत्पाद और आयातित संबद्ध वस्तु भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं, कार्यों एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, विनिर्माण प्रक्रिया तथा टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं; वे तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और उपभोक्ताओं द्वारा परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किए जाते हैं। अतः वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ, आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध

वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद के समान "समान वस्तु" माना जा रहा है।

ग. घरेलू उद्योग एवं उसकी स्थिति

11. आवेदन मेटट्यूब कॉपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। आवेदक ने कहा है कि जांच की अवधि के दौरान वह भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र उत्पादक था; निसान कॉपर लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन बंद कर दिया था; ग्लोबल कॉपर प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध वस्तु का उत्पादन शुरू नहीं किया था; तथा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड और राम रत्न वायर्स लिमिटेड द्वारा संबद्ध वस्तु का उत्पादन जांच की अवधि समाप्त होने के बाद ही शुरू हुआ। आवेदन का कोई समर्थक नहीं है और किसी भारतीय उत्पादक ने इसका विरोध नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक का उत्पादन समान वस्तु के समस्त भारतीय उत्पादन का प्रतिनिधित्व करता है और तदनुसार नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार उसका एक प्रमुख अनुपात है।
12. आवेदक ने प्रकटन किया है कि उसने क्षति अवधि, जिसमें जांच की अवधि भी शामिल है, के दौरान संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया; उसने 2023-24 तथा जांच की अवधि में मलेशिया से संबद्ध वस्तु का आयात किया; और वह मलेशिया में समान वस्तु के एक उत्पादक से संबद्ध है। आवेदक ने कहा है कि ये आयात मात्रा में सीमित थे और उसके संयंत्र में परिचालन संबंधी बाधाओं के कारण किए गए थे। प्राधिकारी नोट करते हैं कि मलेशिया संबद्ध देश नहीं है, अतः न तो इस प्रकार किए गए आयात और न ही प्रकट किया गया संबंध कथित पाटित वस्तु से संबंधित है और तदनुसार नियमावली के नियम 2(ख) का अपवाद आकर्षित नहीं होता है।
13. रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया इस बात से संतुष्ट हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग है। आवेदन नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

14. वर्तमान जांच में संबद्ध देश चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम हैं।

ड. जांच की अवधि

15. आवेदक ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक प्रस्तावित की है, जो 12 माह की अवधि है। प्राधिकारी ने जांच की अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक मानी है। क्षति जांच अवधि में वित्त वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा जांच की अवधि शामिल है।

च. कथित पाटन का आधार

i. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

16. आवेदक ने चीन के अभिगम प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 15(क) का उल्लेख करते हुए उस पर भरोसा किया है और दावा किया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए तथा चीन जन. गण. के उत्पादकों को यह प्रदर्शित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री के संबंध में उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं। जब तक चीन जन. गण. के उत्पादक यह प्रदर्शित नहीं करते कि ऐसी बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां विद्यमान हैं, तब तक उनका सामान्य मूल्य नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए।
17. आवेदक ने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे देश में विचाराधीन उत्पाद की कीमत अथवा निर्मित मूल्य तथा ऐसे तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों को कीमत से संबंधित सूचना उसके पास उपलब्ध नहीं है और उसने भारत में समान वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर, बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा लाभ की युक्तिसंगत वृद्धि के साथ, चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का दावा किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-1 का पैरा 7, जहां उसमें निर्दिष्ट पूर्ववर्ती आधार उपलब्ध नहीं हों, किसी अन्य उचित आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण की अनुमति देता है, जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तव में अदा की गई अथवा देय कीमत को उचित लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए विधिवत समायोजित करना भी शामिल है। तदनुसार, जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य भारत में समान वस्तु की अनुकूलित उत्पादन लागत के आधार पर, विधिवत समायोजित कर और उचित लाभ मार्जिन जोड़कर निर्मित किया गया है।

ii. थाईलैंड और वियतनाम के लिए सामान्य मूल्य

18. आवेदक ने दावा किया है कि थाईलैंड और वियतनाम में एक विशिष्ट बाजार स्थिति विद्यमान है और कहा है कि वह उन देशों में समान वस्तु की घरेलू बिक्री कीमत, वहां से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की कीमत अथवा वहां समान वस्तु की उत्पादन लागत प्राप्त नहीं कर सका।
19. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अधिनियम की धारा 9क(1)(ग) निर्यातक देश में उपभोग के लिए नियत समान वस्तु की व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में तुलनीय कीमत निर्दिष्ट करती है और, जहां ऐसी कीमत उपलब्ध नहीं हो, वहां निर्यातक देश से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की गई समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत अथवा मूल देश में उत्पादन लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागत तथा लाभ के लिए युक्तिसंगत वृद्धि जोड़ी गई हो, निर्दिष्ट करती है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उनके लिए उपलब्ध स्रोतों की जांच करने पर भी संबद्ध देशों में घरेलू बिक्री कीमतें रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं; तीसरे देश की निर्यात कीमत के प्रयोजनार्थ उपलब्ध व्यापार आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के लिए पृथक वर्गीकरण स्तर पर नहीं हैं और समान वस्तु की कीमत को विश्वसनीय रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते; तथा इस चरण पर मूल देशों में उत्पादन लागत उपलब्ध नहीं है। तदनुसार, जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रत्येक संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्धारित किया गया है, जिसमें भारत में समान वस्तु की अनुकूलित उत्पादन लागत को सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के रूप में अपनाया गया है, विधिवत समायोजन किया गया है और उचित लाभ मार्जिन जोड़ा गया है। सामान्य मूल्य के आधार की जांच संबंधित उत्पादकों और निर्यातकों के उत्तरों के आधार पर जांच के दौरान की जाएगी।

iii. निर्यात कीमत

20. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम्स के लेन-देनवार आयात आंकड़ों में रिपोर्ट की गई विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखकर किया गया है। कारखाना-द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए आवेदक के दावे के अनुसार समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, बंदरगाह एवं हैंडलिंग प्रभार, ऋण लागत तथा मालसूची वहन लागत के मद में उपयुक्त समायोजन पर विचार किया गया है।

iv. पाटन मार्जिन

21. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह स्थापित होता है कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन मार्जिन सकारात्मक है और न्यूनतम सीमा से अधिक है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों के निर्यातकों द्वारा विचाराधीन उत्पाद का भारत के घरेलू बाजार में पाटन किया जा रहा है।

छ. क्षति और कारणात्मक संबंध

22. आवेदक ने आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयात भारत में घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और इसके समर्थन में प्रथम दृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ संबद्ध देशों से आयातों के प्रभाव का नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (iii) के अनुसार संचयी रूप से आकलन किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध डीजी सिस्टम्स के लेन-देनवार आयात आंकड़े प्रथम दृष्टया दर्शाते हैं कि आवेदक द्वारा उत्पादन शुरू किए जाने तक भारत में संबद्ध वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः आयातों से पूरी होती थी; संबद्ध आयात क्षति अवधि के दौरान बढ़े और जांच की अवधि में भारत की मांग के प्रमुख हिस्से का प्रतिनिधित्व करते रहे; तथा घरेलू उद्योग अपने उत्पादन के प्रथम पूर्ण वर्ष में उस मांग का केवल सीमांत हिस्सा ही प्राप्त कर सका। संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग के परिचालन के प्रत्येक वर्ष में उसकी बिक्री लागत और निवल बिक्री प्राप्ति दोनों से कम रहा तथा उसने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की। घरेलू उद्योग अपनी बिक्री कीमत को बिक्री लागत के स्तर तक बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा; संबद्ध वस्तु का उसका उत्पादन खांचा बनाने की प्रक्रिया के लिए स्थापित क्षमता का केवल एक छोटा अनुपात रहा; उसकी मालसूची बढ़ी; तथा उसके परिचालन के दोनों वर्षों में उसका लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल ऋणात्मक रहे।
23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रत्येक संबद्ध देश से आयातों की मात्रा प्रथम दृष्टया नगण्य नहीं है। नियमावली के अनुबंध-II को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच की शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्रथम दृष्टया मानते हैं कि घरेलू उद्योग की स्थापना में सारवान बाधा के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं; संबद्ध आयातों का प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग की कीमतों और उसके द्वारा प्राप्त की जा सकी मात्रा पर उनके प्रभाव के माध्यम से

परिलक्षित होता है; और कथित पाटन तथा ऐसी बाधा के बीच कारणात्मक संबंध के भी पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

24. आवेदक द्वारा प्रस्तुत विधिवत प्रमाणित लिखित आवेदन के आधार पर तथा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की स्थापना में परिणामी सारवान बाधा और ऐसी बाधा तथा पाटित आयातों के बीच कारणात्मक संबंध के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, अधिनियम की धारा 9क के साथ पठित नियमावली के नियम 5 के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा चीन जन. गण., थाईलैंड और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में पाटन के अस्तित्व, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उपयुक्त राशि की सिफारिश करने के लिए पाटनरोधी जांच शुरू करते हैं, जो लगाए जाने पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।
25. आवेदक ने प्राधिकारी से नियमावली के नियम 13 के अनुसार अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने, मौखिक सुनवाई का अवसर प्रदान करने तथा पांच वर्ष की अवधि के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश करने का अनुरोध किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों का निर्धारण जांच की शुरुआत के चरण में नहीं किया जाना है। जांच के उपयुक्त चरण पर, यदि और जिस सीमा तक आवश्यक हो, इन पर विचार किया जाएगा तथा हितबद्ध पक्षकार इस अधिसूचना में निर्धारित समय सीमा के भीतर इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

झ. प्रक्रिया

26. इस जांच में नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

27. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर अपना पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों के सभी संचार और प्रस्तुतियां उनके पंजीकृत

नाम तथा संगत मामला आईडी-AD/OI/055/2026 के अंतर्गत सेतु पोर्टल पर अपलोड की जाएंगी। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तुति का विवरणात्मक भाग खोज-योग्य PDF/MS-Word प्रारूप में तथा डेटा फाइलें MS-Excel प्रारूप में हों।

28. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में उनके दूतावासों के माध्यम से संबद्ध देशों की सरकारों तथा भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर सभी संगत सूचना दायर कर सकें।
29. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित समय सीमाओं के भीतर निर्धारित रूप और तरीके से वर्तमान जांच से संबंधित प्रस्तुति कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय प्रस्तुति करने वाले किसी पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराना आवश्यक है।
30. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान जांच से संबंधित किसी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in और सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर नियमित निगरानी रखें। हितबद्ध पक्षकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जांच में आगे के घटनाक्रम से अवगत रहने तथा प्रश्नावली प्रारूपों, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक की अनुसूची, मौखिक सुनवाई की सूचना, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं और ऐसी अन्य सूचना के संबंध में समय-समय पर जारी की जाने वाली सूचनाओं से अवगत रहने के लिए डीजीटीआर की वेबसाइट (<http://dgtr.gov.in/>) को नियमित रूप से देखें।

ट. समय सीमा

31. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सेतु पोर्टल (<http://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम तथा संगत मामला आईडी - AD/OI/055/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रस्तुति के दोनों पाठ, अर्थात् गोपनीय पाठ (CV) और अगोपनीय पाठ (NCV), आवेदन के अगोपनीय पाठ और संबंधित प्रश्नावली/प्रश्नावलियां, अन्य बातों के साथ, ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों और संबद्ध देश/देशों के राजनयिक प्रतिनिधि/प्रतिनिधियों को प्रेषित किए जाने वाले सूचना-पत्रों के प्रेषण की तारीख से 37 दिनों के भीतर, नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के

अनुसार, संबंधित निर्धारित कॉलमों में अपलोड किए जाने चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण है, तो प्राधिकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर और नियमावली, 1995 के अनुसार अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

32. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें और इस अधिसूचना में निर्धारित उपर्युक्त समय सीमा के भीतर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से अपनी प्रश्नावली के उत्तर दायर करें।
33. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे पर टिप्पणियां दायर करने की 15 दिन की अवधि इस जांच शुरुआत अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के साथ-साथ चलेगी।
34. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी बाद की सूचना के माध्यम से पीयूसी और पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं जो पहले प्रस्तावित नहीं था अथवा जांच शुरुआत अधिसूचना से भिन्न है, तो 15 दिनों का समय विस्तार दिया जाएगा। 15 दिनों का यह विस्तार संशोधित पीयूसी और पीसीएन संबंधी ऐसी अधिसूचना की तारीख से दिया जाएगा। इस पैरा में उल्लिखित 15 दिनों का समय विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां जांच शुरू होने के बाद पीयूसी और पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के समय विस्तार (यदि दिया गया हो) से अधिक समय के लिए आगे के विस्तार के अनुरोधों पर, नियमावली के नियम 6(4) के अनुरूप, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतः विचार नहीं किया जाएगा।
35. समय विस्तार का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा मूल समय सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तुत अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

36. वर्तमान जांच में जहां कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुति करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, वहां ऐसे पक्षकार को नियमावली के

नियम 7(2) और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का अगोपनीय पाठ साथ-साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है। उपर्युक्त का अनुपालन न करने पर उत्तर/प्रस्तुतियां अस्वीकार की जा सकती हैं।

37. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तरों सहित कोई भी प्रस्तुति (उसके साथ संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग दायर करना आवश्यक है।
38. ऐसी प्रस्तुतियों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर “गोपनीय” अथवा “अगोपनीय” स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष की गई कोई भी प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा “अगोपनीय” सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी प्रस्तुतियों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
39. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना शामिल होगी जो स्वभावतः गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना, जिसके संबंध में सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीयता का दावा करता है। स्वभावतः गोपनीय होने का दावा की गई सूचना अथवा अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ यह बताते हुए उचित कारण का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता।
40. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दायर सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचकांकित किया जाए अथवा, जहां सूचकांकन संभव न हो, रिक्त किया जाए; और जिस सूचना पर गोपनीयता का दावा किया गया है उसकी प्रकृति के अनुसार ऐसी सूचना का उचित एवं पर्याप्त सार प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
41. अगोपनीय सार में इतना पर्याप्त विवरण होना चाहिए कि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना के सारतत्त्व को युक्तिसंगत रूप से समझा जा सके। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत कर सकता है कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है; ऐसी स्थिति में नियमावली, 1995 के नियम 7 तथा प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार

पर्याप्त एवं समुचित स्पष्टीकरण वाला कारणों का विवरण, कि ऐसा सार प्रस्तुत करना क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

42. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ के परिसंचरण की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता से संबंधित मुद्दों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
43. जिस प्रस्तुति के साथ उसका सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 7 और प्राधिकारी द्वारा जारी उपयुक्त व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त एवं समुचित कारण का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया हो, उसे प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
44. प्राधिकारी प्रस्तुत सूचना की प्रकृति की जांच करने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है, अथवा सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत अथवा सार रूप में उसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए इच्छुक नहीं है, तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।
45. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकरण के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

46. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा की गई प्रस्तुतियों के सभी अगोपनीय पाठ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल पर उनके संबंधित लॉग-इन के माध्यम से उपलब्ध होंगे।

ढ. असहयोग

47. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार आवश्यक सूचना तक पहुंच देने से इंकार करता है या अन्यथा उचित अवधि के भीतर अथवा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराता है, अथवा जांच में उल्लेखनीय रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी

घोषित कर सकते हैं, रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

Digitally signed by
Amitabh Kumar

Date: 29-09-2026

16:36:40

अमिताभ कुमार

निर्दिष्ट प्राधिकारी